अनुसूची ३१-प्रपत्र संख्या ११२।

आवेदन 01405 दिनांक 21/[illegible]

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं०......1881......२०..

आवेदन सं०......1881......२०..

१ चूंकि श्री Anita ... M/S Mahalakshmi ... [illegible] ने संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों पर और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण २)

२ इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता......2002......से ता. till date......तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९

Mouza – Kolakusama Khata No.- 122 Plot No.- 1312 Total Area – 13.20 decimal ——— NIL ———

Bidyut Roy

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें, बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों के छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)-

(पदनाम) - Clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)-

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय Distt. Sub Registry Office

मुहर जिला अवर निबंधक सत्यमेव जयते धनबाद

तारीख 21/7/2022

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी चूक के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की चूक के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me

Bidyut Roy